बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 185868 पटना, दिनांक 21-05-2014

ग्रा0वि0- 8 (थ) ग्रा0परि0- 72/11 (पार्ट)

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

विषय:- **दिनांक- 17.12.2013 को माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवाही के लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 172984 दिनांक- 02.01.2014 एवं पत्रांक- 178333 दिनांक- 20.02.2014 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक- 17.12.2013 को माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका- 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है । जिसके अभाव में अग्रत्तर कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि पुन: राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाने वाली है ।

अनुरोध है कि दिनांक- 17.12.2013 को आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

21.5.14

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक 185868 पटना, दिनांक 21-05-2014

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त मनरेगा के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवार्र हेतु प्रेषित ।

21.5.14

अपर सचिव

533

मानननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 17.12.2013 को आयोजित राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति पंजी के अनुसार -

1. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपस्थित माननीय सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात माननीय मंत्री ने सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया ।
2. पिछली बैठक दिनांक- 17.09.2013 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी ।
3. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन का गहन अवलोकन करके संतोष व्यक्त किया गया ।
4. **सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना** द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 5 निम्नवत कार्यक्रम चलाये जा रहे है:-

   i. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन योजना ।
   ii. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना ।
   iii. इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेशन योजना ।
   iv. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ।
   v. अन्नपूर्णा योजना ।

   उक्त सभी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारीगण को इस योजना से अवगत कराया गया ।
5. **सचिव, ग्रामीण विकास विभाग** बिहार, पटना द्वारा यह विचार रखा गया कि अगली बैठक से सभी विभागों द्वारा पूर्व में ही कार्यान्वित योजनाओं का प्रतिवेदन प्राप्त कर ली जाय ताकि सभी माननीय सदस्यों को प्रगति से अवगत कराया जा सकें। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा से अनुमोदित किया गया ।
6. **श्री जाबेद इकवाल, अधिवक्ता गैर सदस्य** द्वारा विचार रखा गया कि प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन होना चाहिए । उनका कहना था कि स्थल पर जाकर जॉच एवं निरीक्षण हो, तभी ज्ञात हो पायेगा कि कार्य की सही स्थिति क्या है। इस संदर्भ में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय सदस्यों की सहमति से दिनांक- 11.01.2014 को वैशाली एवं सारण जिलें का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया । इस कार्य हेतु विभाग से श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग जिनका दूरभाष सं0- 09 1818344 है, को नामित किया गया । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि जिन्हें क्षेत्रीय भ्रमण में जाना है वो अपना सहमति दिनांक- 07.01.2014 तक श्री वर्मा को अवगत करायेगें ।

श्री इकवाल द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के संदर्भ में संतोष व्यक्त किया गया एवं यह मांग की गई कि सभी बी0पी0एल0 परिवार के मकानों पर बी0पी0एल0 संख्या अंकित होनी चाहिए ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके।

7. **श्री समीर महासेठ, गैर सरकारी सदस्य, भू0पू0 सदस्य बिहार विधान परिषद**:- द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि राज्य स्तर पर विकलांग के लिए खेलकूद, पाठशाला आदि की अलग से व्यवस्था की जाय तथा इनके लिए ग्राउण्ड आदि बनबाये जाय। सचिव महोदय द्वारा इस प्रस्ताव को सराहा गया तथा कहा गया कि मनरेगा के अन्तर्गत इसे लेकर कार्य को साकार रूप दिया जा सकता है ।

श्री महासेठ द्वारा विकलांगों को विकलांगकता प्रमाण-पत्र हेतु प्रखंड स्तरीय कैम्प लगाने हेतु विशेष जोर दिया गया ताकि वहाँ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए ससमय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सके। यह कैम्प महीने में एक दिन सभी प्रखंडों लगाई जानी चाहिए ।

8. **श्रीमती अपर्णा सिंह, एनजीओ, भागलपुर**:- द्वारा प्रश्न उठाया गया कि गलत ढंग से विधवा पेंशन की राशि लोग उठा लेते हैं जिससे सही व्यक्ति का हक मारा जाता है । इस पर संबंधित पदाधिकारी इस पर गंभीरता से विचार करें तथा इस पर अंकुश लगाई जाय ताकि दोषी को सजा दी जा सकें । इस संबंध में उनसे यह कहा गया कि उनकी नजर में इस प्रकार की विशिष्ट मामले है तो वे विभाग को सूचित करे उसकी जॉच कराई जायेगी ।

9. **मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना** महोदय द्वारा संबोधन के क्रम में स्पष्ट किया गया कि जिनका नाम बीपीएल या एपीएल सूची में नहीं है किन्तु वे जरूरतमद है ऐसी स्थिति में उन्हें भी इस लाभ से बंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित येाजनाओं में हो रही अनियमितता के संबंध में प्रकाश डाला गया जो निम्नवत है:-

प्रखंड- झंझारपुर- 1. काको से मोतीपुर प्रधानमंत्री सड़क से Premixing नहीं किया जा रहा है ।

2. पुरानी एन0एच0 से परतापुर प्रधानमंत्री सड़क में काली मंदिर परतापुर पी0सी0सी0 कार्य दो वर्ष से नहीं किया जा रहा है । 2009-10

3. स्टेट हाईवे कोठिया से काको के पास पी0सी0सी0 संड़क पूर्णत: टूट चुकी है। 2008-09 ।

(क) गोपलखा म0वि0 केपास पी0सी0सी0 पूर्णत: टूट चूकी है ।

(ख) कोठिया भट्ठा से लोपलखा तक कालीकरण उखड़ चुकी है ।

(ग) ओझोल से शंकरपुर तक तीन बड़ा-बड़ा गढ्डा हो गया है ।

4. स्टेट हाईवे से नारायणपुर कि स्वीकृति 6 कि0मी0 हुई है जबकी इस सड़क कि दूरी 2.6 कि0मी0 है ।

5. स्टेट हाईवे से बलनी मेंहथ प्रधानमंत्री सड़क से इस कि स्वीकृति 1.2 कि0मी0 हुई जबकि इसकी दूरी 1.7 कि0मी0 है ।

531

6. आर0ई0ओ0 से शुक्लाराही कि स्वीकृति 1.2 [illegible] 10 हुई है जबकि इसकी दूरी 2.2 कि0मी0 है ।

प्रखंड- लखनौर- 1 मैवी से सोनवर्षा प्रधानमंत्री सड़क में [illegible] टोला के पास पुल चाहिए एवं सड़क बेहरा और मैवी के बीच में टुट रही [illegible] 2009-10

2. लखनौर प्राथमिकी विद्यालय से [illegible] मंत्री [illegible] में कसियाम पोखरा के पास सड़क टूट रही है । 2009-[illegible]

प्रखंड- मधेपुर- 1. अजरकवे सिद्धि ताजपुर से भगवानपुर [illegible] 1.5 कि0मी0है। इसको के तहफ से बनाया जा रहा है । जबकि [illegible] से भगवानुपर हुआ है । अगर इसको अजर[illegible] के तरफ से बनाया जाए तो आबादी बाहुल क्षेत्र पकड़ाएगा । [illegible]-14

10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा [illegible] के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी उपस्थित माननीय [illegible] गया साथ ही गत दिनांक- 19.11.2013 को विश्व शौचालय दिवस पर [illegible] मंत्री द्वारा की गई आह्वान के संबंध में अवगत कराया गया साथ ही यह भी [illegible] कि [illegible] सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु संबंधित लाभुकों को [illegible]

अध्यक्ष की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक [illegible]

(हस्ताक्षर) 2/1
([illegible])
स[illegible]

ज्ञापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-1-2013
ग्रा0वि0- 8 (ध)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण) ग्रामीण विकास विभाग, [illegible] को उपरोक्त अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2/1
सचिव

ज्ञापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013
ग्रा0वि0- 8 (ध)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ को सूच[illegible] [illegible] कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2/1

ज्ञापांक________________ पटना, दिनांक-________ 530

ग्रा0वि0- 8 (थ)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/कृ[illegible]त्पादन आयुक्त, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, [illegible]मीण [illegible] विभा[illegible]/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ [illegible]।

2. अनुरोध है कि प्रासंगिक कार्यवाही से संबंधित अनु[illegible] ही विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अगली बैठक की कार्रवाई ससमय की [illegible] सके।

ह0/-
सचिव

ज्ञापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013

ग्रा0वि0- 8 (थ)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के [illegible]व/आ[illegible]क्त मनरेगा/सभी विभाग पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को [illegible] कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव

ज्ञापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013

ग्रा0वि0- 8 (थ)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आ[illegible] पट[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव